To Release Water in Rakshi and Saraswati Rivers

23 Sh. MEWA SINGH (Ladwa):

Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to release water in Rakshi and Saraswati rivers to recharge the ground water; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana.

Yes, Sir.

Rakshi Nadi:-

Rakshi Nadi off takes from Bubka Head which is constructed on Chautang Nadi near village Bubka in Radaur Assembly Constituency of Distt. Yamuna Nagar and terminates in Sirsa Branch near Village Kalsi in Nilokheri Assembly Constituency of Distt. Karnal. The Rakshi Nadi with capacity 197.34 Cs. from its head was revived as Rakshi Nadi in year 2009-10 as an earthen channel. The total length of Rakshi Nadi is 116500 ft. The basic aim of the Rakshi Nadi was to recharge underground water table with an added advantage to nearby adjoining farmers to take water on their own for irrigation purpose and also for flood mitigation during rainy season. Six Nos. of bridges have been constructed on this channel in the year 2016-17 and a sump well constructed at tail of the Rakshi Nadi in the year 2019 for pumping out the flood/rainy water into the Sirsa Branch. Regulation gate has been constructed at Bubka Head in the year 2019, which is regulated by Sarasvati Heritage Division No.1, Jagadhri. Whenever the excess water supply is received in Chauntag Nallah, a controlled water supply is released in Rakshi Nadi on the demand of farmers.

Sarasvati River:-

In regard to release of water in Sarasvati River, it is intimated that the Government has constituted "Haryana Sarasvati Heritage Development Board (HSHDB)" on 23.12.2016 for the sole purpose of revival of Sarasvati River.

The work of internal clearance of Sarasvati River and excavation of its uneven bed was taken up before the onset of monsoon season 2017. The supply is being released since the year 2017 during monsoon period from the Head Regulator at RD 31.892/L of Shahabad Feeder near village Uncha Chandna in Distt. Yamuna Nagar. The channel is beneficial for recharging of ground water. Further, it is also intimated that a project titled as "Sarasvati River Rejuvenation and Heritage Development" is also under consideration of Govt. of Haryana under which a dam and barrage will be constructed on River Somb to divert excess flood water to Sarasvati Reservoir proposed in the panchayati land of village Rampur Heryan, Rampur Kombian and Chhalour of Distt. Yamuna Nagar. This excess flood water of Somb River stored at Sarasvati Reservoir shall be released in Sarasvati River in regulated manner during non-monsoon period.

Govt of Haryana has already approved the project of revival of Sarasvati River. The Project involves construction of Adi Badri Dam on River Somb, construction of Somb Sarasvati Barrage, Sarasvati Reservoir, its inter connecting Pipeline and acquisition of 68.36 Acres of Land to ensure connectivity of Channel in District Yamuna Nagar. The landowners are coming forward to give their land for this Project and more than 70% consent has been received from farmers. The consent received along with NOC from Forest department & non encumbrance certificate (NEC) from DC, Yamunanagar were submitted in Committee Of Secretaries (COS) meeting and department is trying hard to purchase the required land from the farmers.

- a) MOU Regarding Construction of Adi Badri Dam has been signed with Himachal Pradesh Government on dated 21.01.2022 and as per MOU the work of Construction of Adi Badri Dam will be executed by Himachal Pradesh Power Corporation Limited (HPPCL).
- b) Revival of Sarasvati River will get materialized as 19 Cuses water will be released throughout year in Sarasvati river after completion of the entire project by June,2025.

राक्षी तथा सरस्वती नदियों में पानी छोड़ना

23 श्री मेवा सिंह (लाडवा):

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए राक्षी तथा सरस्वती नदियों में पानी छोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।

हां, श्रीमान जी।

राक्षी नदी:-

राक्षी नदी बुबका हैड से निकलती है जोिक जिला यमुनानगर के रादौर विधानसभा क्षेत्र के बुबका गांव के पास चौटांग नाले पर बनी है और जिला करनाल के नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में गांव कलसी के पास सिरसा ब्रांच में समाप्त हो जाती है। राक्षी नाला को 197.34 क्यूसेक की क्षमता के साथ इसके हैड से वर्ष 2009—10 में राक्षी नदी के रूप में पुनर्जिवित किया गया था। राक्षी नदी की कुल लंबाई 116500 फीट है। राक्षी नदी का मूल उदेश्य भूजल स्तर को रिचार्ज करने के साथ सिंचाई के उदेश्य को पूरा करने के लिए आस—पास के किसान इससे अपने आप पानी ले लेते हैं और बारिश के मौसम के दौरान बाढ़ शमन के लिए पानी निकालने का अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। वर्ष 2016—17 में इस चैनल पर 6 पुलों का निर्माण करवाया गया था और राक्षी नदी के अंतिम छौर पर एक सम्प वैल का निर्माण करवाया गया, जिससे बाढ़ / वर्षा का पानी सिरसा ब्रांच में छोड़ा जा सके। सरस्वती धरोहर मंडल संख्या—1, जगाधरी के द्वारा रेगुलेशन गेट का निर्माण वर्ष 2019 में बुबका हैड पर करवाया गया है। चौटांग नाले में जब भी अतिरिक्त पानी मिलता है तो किसानों की मांग पर नियंत्रित जलापूर्ति राक्षी नदी में छोड़ी जाती है।

सरस्वती नदी:--

सरस्वती नदी में पानी छोड़े जाने के संबंध में, यह बताया जाता है कि सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरोद्धार के एक मात्र उदेश्य के लिए दिनांक 23.12.2016 को "हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड" (HSHDB) का गठन किया है। सरस्वती नदी की आंतरिक सफाई और असमतल तल की खुदाई का कार्य वर्ष 2017 में मानसून ऋतु की शुरूआत से पहले कर लिया गया था। जिला यमुनानगर के गांव ऊंचा चांदना के निकट शाहाबाद फीडर में स्थित हैड रेगुलेटर जोकि बुर्जी संख्या 31892 / बाएं पर है, वर्ष 2017 की मानसून अवधि से इसमें पानी की आपूर्ति हो

रही है। जिससे भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज करने में लाभ मिलता है। आगे यह भी बताया जाता है कि यह परियोजना जिसका शीर्षक "सरस्वती नदी पुनर्जीवन और धरोहर विकास (HSHDB)" हरियाणा सरकार द्वारा विचाराधीन है जिसके अंतंगत सोम्ब नदी पर एक बांध और बैराज को बनाया जाऐगा, जिससे अतिरिक्त बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाश्य जोकि जिला यमुनानगर के गांव रामपुर हरियान, रामपुर कोम्बियन और छलौर गांव की पंचायती भूमि पर प्रस्तावित है। सोम्ब नदी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाश्य में संग्रहित करके, उसी पानी को सरस्वती नदी में गैर—मानसून अवधि के दौरान नियंत्रण के साथ छोड़ा जाएगा।

हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के पुनरोद्धार की परियोजना को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। परियोजना में सोम्ब नदी पर आदि बद्री बांध का निर्माण, सोम्ब सरस्वती बैराज का निर्माण, सरस्वती जलाश्य का निर्माण, परस्पर जोड़ने वाली पाईपलाईन और 68.36 एकड़ भूमि का अधिग्रहण जिला यमुनानगर में चैनल की कनैक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए शामिल है। जमीदार इस परियोजना के लिए अपनी जमीन देने के लिए आगे आ रहे है और 70 प्रतिशत से अधिक किसानों से सहमति प्राप्त हो चुकी है। सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) की बैठक में वन विभाग से अनापति प्रमाण पत्र और अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर से गैर—भार प्रमाण पत्र (एन. ई.सी.) के साथ प्राप्त सहमति को प्रस्तुत किया जा चुका है और विभाग किसानों से आवश्यक भूमि खरीदने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

- (क) आदि बद्री बांध के निर्माण के सबंध में दिनांक 21.01.2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर हो गए है और समझौता ज्ञापन के अनुसार आदि बद्री बांध के निर्माण का कार्य हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेशन लिमिटेड (HPPCL) के द्वारा किया जाएगा।
- (ख) सरस्वती नदी का पुनर्जीवन साकार होगा क्योंकि जून, 2025 तक पूरी परियोजना के पूरा होने के बाद सरस्वती नदी में साल भर 19 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा।